खनिज

09

खनिज

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 26,544 करोड़ अनुमानित।
- वर्ष 2020–21 में खनिजों से राजस्व आय 5,517.01 करोड़ रू रही।
- वर्ष 2020–21 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.69 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्य खनिज से 4,676.08 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 260.95 करोड़ आय हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (माह फरवरी तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 21.09%, लौह अयस्क में 17.61%, चूनापत्थर में 11.70%, बॉक्साइट में 03.57% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।
- कुल राजस्व आय में 95 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 5 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया।

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (माह फरवरी तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 21.09%, लौह अयस्क में 17.61%, चूनापत्थर में 11.70%, बॉक्साइट में 03.57% तथा टिन अयस्क में 100% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।

कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रशंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथाः लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.1 राजस्व आय **(करोड़)**

वर्ष	खनिज राजस्व
2014–15	3572.68
2015–16	3709.57
2016–17	4141.47
2017–18	4911.41
2018–19	6110.25
2019–20	6195.73
2020–21	5517.01

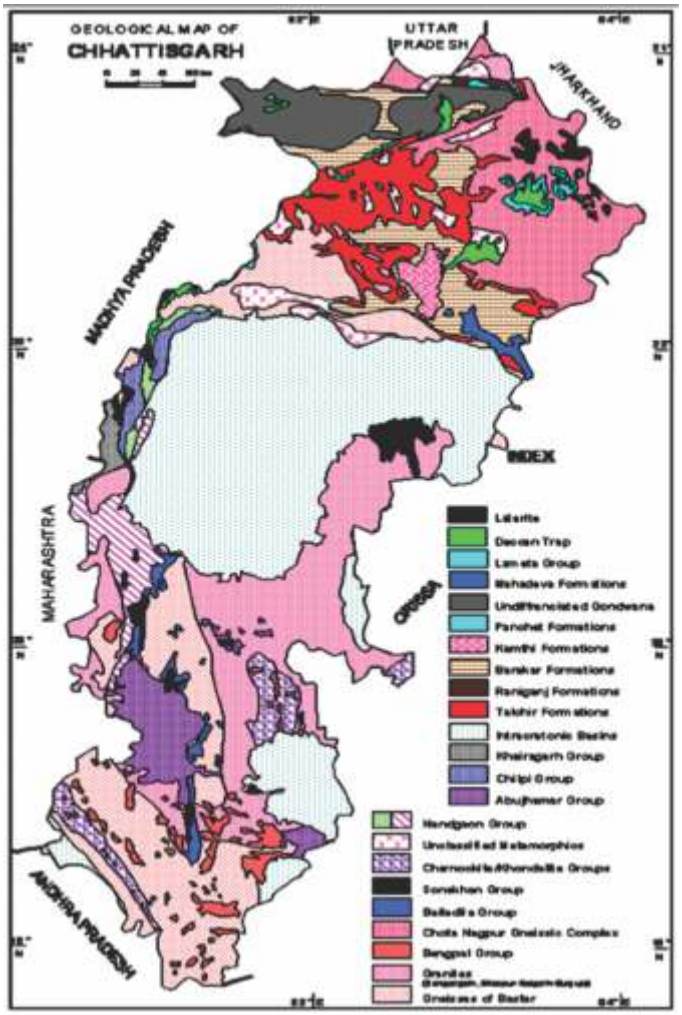

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	2008586	2200011	2349865	2536999	2487340	2264353	2654459
वृद्धि (प्रतिशत)	-4.79	9.53	6.81	7.96	-1.96	-8.96	17.23
योगदान (प्रतिशत)	11.15	11.30	11.74	11.36	10.64	9.81	10.36

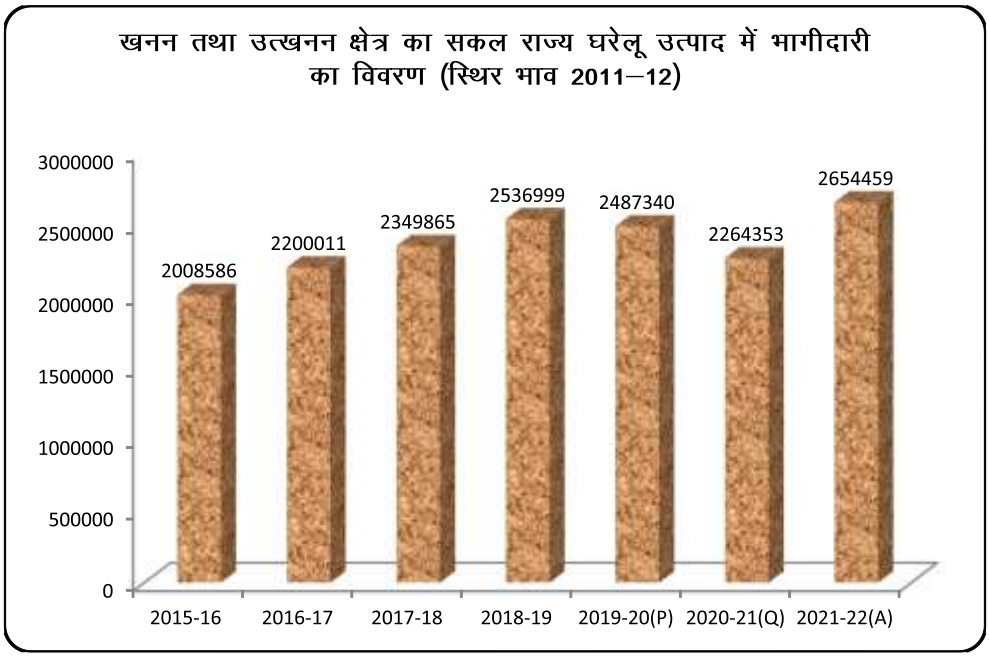

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, चूनापत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एन्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शीपत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2020–21 (अप्रैल 20 से फरवरी 21)						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	130770	-	619971	-	21.09	-
लौह अयस्क (000 टन)	32019	110362.13	181806	420649	17.61	26.24
चूना पत्थर (000 टन)	36184	8361	309270	73158	11.70	11.43
बॉक्साइट (000 टन)	644814	673.61	18057749	20247	3.57	3.33
टिन (कि.ग्रा.)	13673	7552	13673	7552	100.00	100.00
अन्य मुख्य खनिज	18950671	9320	656230281	696016	2.89	1.3
स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः— छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012–13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि 2013–14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2017–18 में यह 15.66 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.69 प्रतिशत रहा इसका वर्षवार विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2012–13	18401	233321	7.9
2013–14	19566	225660	8.7
2014–15	19416	236554	8.2
2015–16	19213	234171	8.2
2016–17	22743	237730	9.6
2017–18	9184	58638	15.66
2018–19	11076	73257	15.12
2019–20	10001	69901	14.31
2020–21	11941	67514	17.69

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशनं

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः— वित्तीय वर्ष 2020–21 में 207 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 1,523 मीटर ड्रिलिंग की गई है। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2,768 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 15,813 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

तालिका 9.5 वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2019–20		2020–21 (सितं–20)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉं	लक्ष्य	उपलब्धियॉं
1	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	307.18	207	1104.74	20.28
2	ड्रिलिंग	मीटर	5690	1523	3050	346.90
3	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	40000	15813	40000	10269

9.5 खनिज उत्पादनः—

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः— जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन तथा बॉक्साईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। विगत वर्षों का मुख्य खनिज का उत्पादन का विवरण तालिका 9.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.6 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	15–16	16–17	17–18	18–19	19-20	20-21*
कोयला	130605	139722	142514	161893	157064	157477
लौह अयस्क	26718	31068	34856	34945	34724	37707
चूना पत्थर	27667	31919	35154	42411	42699	35577
बॉक्साईट	1991	1954	1901	1532	1566	720
टिन (कि.ग्रा.)	13541	12120	16757	21211	15546	13673

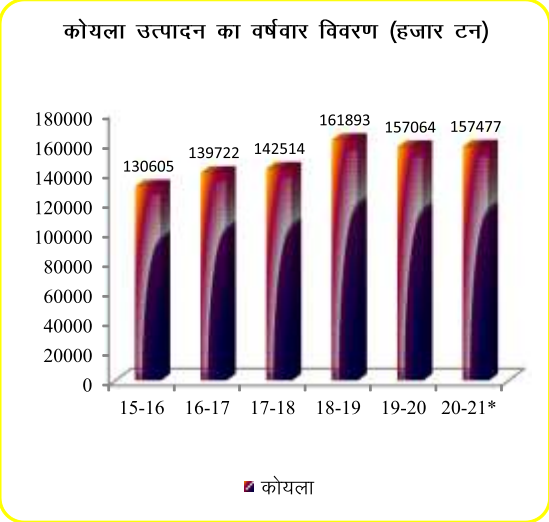

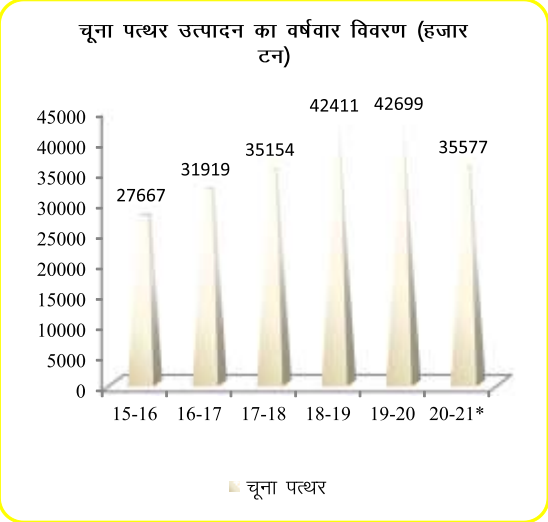

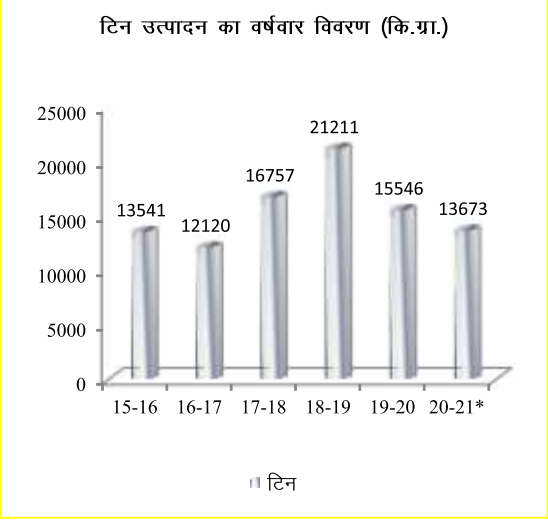

9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादनः— वर्ष 2020–21 में राज्य में रू. 1,03,707.41 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.7 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण (मात्रा टन में एवं मूल्य लाख रू. में)

खनिज का प्रकार	2017–18 उत्पादन		2018–19 उत्पादन		2019–20 उत्पादन		2020-21 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	4339209	15187.24	4301776	13765.68	3066816	9813.81	3598556	11695.31
मिट्टी	780588	1405.06	1710734	3763.61	1066559	3089.91	192769	578.31
मुरूम	7134384	12841.89	5509403	12120.69	4598737	10117.22	3617266	8319.71
फशीपत्थर	175504	351.01	214757	633.53	168757	497.83	7966596	18323.17
ग्रेनाईट (घ.मी.)	1609	40.18	888	26.61	1051	31.52	789	24.45
चूना पत्थर	11813753	27171.63	11050829	42545.68	8252930	31773.79	11171679	44128.12
डोलोमाईट	3120026	11700.10	4383177	17313.55	3738411	14766.72	5040087	20160.35
क्वार्टज			52167	224.31	49067	210.99	34757	356.26
क्वार्टजाइट			30429	311.89	97650	1000.91	27667	121.73

9.6 राजस्व आय :– छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्य खनिज से 4,676.08 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 260.95 करोड़ आय हुई है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका क्र. 9.8 पर दर्शित है:–

तालिका 9.8 मुख्य एवं गौण खनिजों से राजस्व आय (राशि लाख रू. में)

मुख्य खनिज	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कोयला	195654.85	236289.79	271350.59	233687.11	235586.09
लौह अयस्क	82994.13	129085.81	183769.52	182849.59	197062.43
चूनापत्थर	25237.90	31307.81	34433.27	32897.10	33648.05
बाक्साइट	3284.49	4717.27	2948.71	2686.93	1295.38
टिन अयस्क	7.81	15.83	13.82	10.15	9.38
रनर मोल्डिंग सेण्ड	1.16	0.53	1.24	1.74	3.12
मोल्डिंग सेण्ड	7.20	2.76	1.81	1.04	0.13
गोल्ड	0.23	0	0	0	0
विविध आय	1.05	0	76.13	304.00	3.77
योग	**307188.82**	**401419.80**	**492595.09**	**452437.66**	**467608.35**
प्रतिशत वृद्धि		30.68	22.71	-8.15	3.35
गौण खनिज					
चूनापत्थर	7777.86	9451.00	8840.66	6602.34	8937.34
डोलोमाइट	2054.66	2340.02	3944.86	3364.57	4536.08
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	49.96	71.63	89.55	180.87	73.56
पत्थर	2513.42	2905.10	3635.00	2591.46	3057.71
फायरक्ले	1.91	4.25	11.25	3.45	11.26
फर्शीपत्थर	202.07	117.50	167.51	131.63	150.36
मिट्टी	104.40	106.16	581.65	362.63	1229.87
मुरूम	586.34	813.32	1570.18	1310.64	2271.07
रेत	0.53	5.11	2.69	37.57	0
ग्रेनाइट	19.18	24.14	17.74	21.01	15.77
क्वार्टजाइट/सिलिका	0.51	0.11	19.27	0.60	1.47
सोपस्टोन	0.24	0.36	0	0.07	0
व्हाईट क्ले	0	0.20	0.66	1.19	0.60
चाईना क्ले	0	0.23	0	0	0
कोरण्डम	1.64	0.18	2.22	1.32	0
विविध आय	5194.61	5549.38	11202.90	4870.60	5810.32
योग	**18507.33**	**21388.69**	**30086.14**	**19479.95**	**26095.41**
गौण खनिज रेत से प्राप्तियां	0	0	0	452.05	1806.27
अर्थदण्ड एवं राजसात से प्राप्तियां	1144.11	1124.23	1522.03	61886.30	6836.72
विविध प्राप्तियॉ	1004.50	927.11	949.27	3286.15	15711.25
नीलामी से प्राप्त राशि					
मुख्य खनिज कोयला	86302.52	65241.32	85109.68	81268.67	29768.64
गौण खनिज	0	3.56	226.89	554.72	1969.99
अन्य मुख्य खनिज (कोयला छोड़कर)	0	1036.66	534.44	241.10	1904.83
कुल योग	**414147.28**	**491141.37**	**611023.54**	**619572.60**	**551701.46**

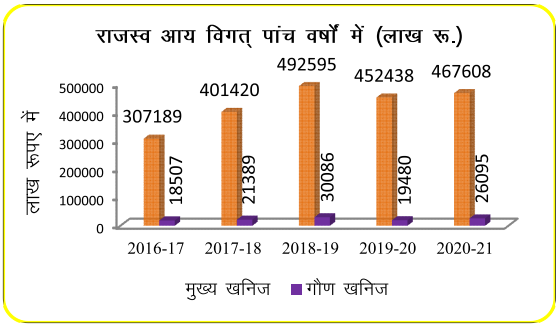

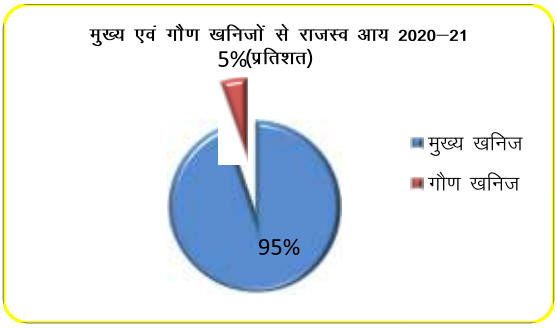

तालिका क. 9.9 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज

क्र0	जिले का नाम	खनिज
1	रायपुर	चूनापत्थर
2	बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3	गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4	दुर्ग	चूनापत्थर, मोल्डिंग सेंड, क्वार्टजाइट
5	बालोद	लौह अयस्क
6	बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7	राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टज/सिलिका सेन्ड, रनर मोल्डिंग सेंड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
8	कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
9	धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध
10	महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
11	जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12	नारायणपुर	लौह अयस्क
13	कांकेर	बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
14	कोण्डागांव	बाक्साइट
15	दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
16	बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
17	सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18	बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19	मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20	जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21	कोरबा	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22	सरगुजा	कोयला, बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
23	सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
24	बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
25	कोरिया	कोयला
26	रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27	जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)

इसके अतिरिक्त रेत, गिट्टी, मुरूम, फर्शीपत्थर, क्ले, ग्रेनाइट, सेन्ड स्टोन आदि भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाते है।

9.7 मुख्य खनिज ब्लॉक्स की ई–नीलामी :– नवीन खनिज अधिनियम/नियमों के तहत् मुख्य खनिज ब्लॉक्स का खनिपट्टा/ कम्पोजिट लायसेंस हेतु आबंटन ई–ऑक्शन/टेंडर के माध्यम से वर्ष 2015 से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक 08 सीमेण्ट ग्रेड चूनापत्थर ब्लॉक खनिपट्टा हेतु एवं 01 गोल्ड ब्लॉक कंपोजिट लायसेंस के रूप में ई–ऑक्शन किये गये है। ई–ऑक्शन आधारित आबंटन से राज्य शासन को रायल्टी, डीएमएफ एवं अन्य देय कर के अतिरिक्त बतौर प्रीमियम लगभग 38 हजार करोड़ की आय संभाव्य है। वर्ष 2021–2022 में खनिज बाक्साईट, चूनापत्थर एवं आयरन ओर के 18 खनिज ब्लॉक्स का आबंटन ई–ऑक्शन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

9.8 खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना :– खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के Ease of Doing Business के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजो के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक Web Based Integrated Mines and Minerals Management System ''खनिज ऑनलाईन'' योजना जून, 2017 से संचालित है।

नोडल एजेंसी चिप्स के माध्यम से क्यूसीबीएस आधारित ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के डेवलपमेंट एवं संचालन/रख–रखाव हेतु लगभग 90 करोड़ लागत की 05 वर्षीय योजना हेतु मेसर्स सिनेसिस टेक लिमिटेड का चयन किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना प्रदेश में खान एवं खनिजों के आईटी आधारित समग्र प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण देश में स्थापित करेगा।

9.9 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :– भारत सरकार, खान मंत्रालय व्दारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15क के तहत् राज्य सरकार व्दारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार व्दारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में सितम्बर 2021 तक 7652 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रगतिः– प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप सितम्बर 2021 तक प्रदेश में 7,477 करोड़ रूपये की 55 हजार से अधिक कार्यों की स्वीकृति जिलों में जारी किया गया है, जिसमें 34 हजार से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है। 5171 करोड़ रूपये व्यय हो चुके हैं।

9.9.1 प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य–

9.9.1.1 स्वास्थ्य सेवा–

- चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/स्टाफ नर्स, अनुभवी/टेक्नीकल स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। कुशल प्रबंधन से बेहतर इलाज,
- अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधोसंरचना, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का उन्नयन एवं आई.सी.यू. का उन्नयन।
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना का क्रियान्वयन– विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना का प्रारंभ। अधिकांश जिलों में एम्बुलेंस सेवाऐ प्रारंभ। सिकलसेल जांच एवं उपचार किया जा रहा है।
- ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। मॉडयूलर आपरेशन थीयेटर कोरबा।
- कोविड–19 के नियंत्रण हेतु सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु अंशदान।

9.9.1.2 पेयजल–

- पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना। फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल स्थापना।
- वाटर एटीएम एवं पाईप लाईन से पेयजल व्यवस्था।

9.9.1.3 शिक्षा–

- शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन एवं सुदूर प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का पुनः प्रारंभ, जैसे–जिला सुकमा में 2006 से बंद स्कूलों का डीएमएफ से पुनः संचालन।
- जिला बालोद, बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सुरजपूर, कोरिया, कबीरधाम, रायपुर एवं अन्य जिलों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति।
- अंशकालिन संगवारी शाला– विशेष पिछड़ी जाति के क्षेत्रों में कबीरधाम जिले में 50 एकल शिक्षक की नियुक्ति।
- बीजापुर जिले में छू–लो आसमान, जशपुर, जिले में संकल्प, नव संकल्प एवं ड्रीम–30 का संचालन, दंतेवाड़ा, जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, रायपुर, कोरिया, बलौदाबाजार एवं अन्य जिलों में विशेष कोचिंग का संचालन।
- स्मार्ट क्लास का संचालन। शैक्षणिक संस्थाओं/छात्रावासों में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं।

- सेन्टर ऑफ एक्सलेंस के रूप में मॉडल स्कूल माडपाल विकसित किया गया है। जिला–बस्तर
- दंतेवाड़ा के 04 अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को निजी मेडिकल कॉलेज में अध्ययन हेतु सहायता।

9.9.1.4 कृषि–

- कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना जैसे– काजू प्रसंस्करण इकाई बस्तर एवं जशपुर, मक्का प्रसंस्करण ईकाई कोण्डागांव।
- खनन प्रभावित कृषकों के आजीविका उन्नयन हेतु, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप स्थापना।
- गोठान विकास एवं रोजगारमुखी कार्यों का सृजन एवं मल्टीएक्टीविटी सेन्टर के रूप में विकसित। सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्प वितरण, ड्रीप स्थापना अनुदान। डेयरी पालन हेतु अनुदान राशि।

9.9.1.5 जीविकोपार्जन एवं हितग्राही मूलक कार्य–

- ई रिक्शा, मधुमक्खी पालन, कड़कनाथ/चूजा, मछली पालन, मशरूम, झिंगा पालन, महुआ पत्ता प्रसंस्करण, बांस आधारित कार्य।
- गारमैंट फेक्ट्री संचालन से 1000 परिवार को रोजगार (दंतेवाड़ा डेनेक्स), बेकरी का संचालन स्वप्रभावित परिवारों के द्वारा, दंतेवाड़ा।
- 20 पहाड़ी कोरवा किसानों को सिचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया।
- जिला–बस्तर एवं जशपुर में चाय एवं काफी का उत्पादन। बंजर भूमि में पपीता उत्पादन। (बस्तर)

तालिका क्र. 9.10 मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का अंशदान (सितम्बर 2021 तक, राशि करोड़ रूपये में)

क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	263.00	129.00
2	नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी	289.00	157.00
3	मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना	35.00	15.00
4	मुख्यमंत्री स्लम अस्पताल योजना	09.00	0.63
5	मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	3.00	0.42
6	इंग्लिश मिडियम स्कूल हेतु	156.00	65.00
7	गौठान विकास	119.00	71.00

9.10 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारर्पोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

9.10.1 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

9.10.2 कोल परियोजना :– भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा जिला–कोरबा स्थित केरवा कोल ब्लॉक का आदेश दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. एवं एम.पी.एस.एम.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कम्पनी केरवा कोल लिमिटेड (के.सी.एल.) के पक्ष में आबंटित किया गया है। केरवा कोल ब्लॉक हेतु कोल ब्लॉक डेव्हलपमेंट एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट (सी.बी.डी.पी.ए.) का निष्पादन दिनांक 18.08.2017 एवं 04.01.2019 (First Amendment) को किया गया है।

केरवा कोल लिमिटेड पूर्वेक्षण हेतु दिनांक 25.06.2020 को अनुबंध निष्पादन किया गया तथा समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर दिनांक 01.07.2020 से अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक आउट सोर्सिंग के माध्यम से 40,753.00 मीटर वेधन का कार्य पूर्ण किया गया है। वेधन से प्राप्त कोर नमूनों को भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। विश्लेषण का परिणाम प्राप्त कर दिनांक 31.12.2021 तक जियोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सम्भावित है।

9.10.3 लौह अयस्क परियोजना :– सी.एम.डी.सी. की 02 लौह अयस्क परियोजनाए है, जिनमें से आरीड़ोगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित है एवं कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना के आरक्षण का प्रस्ताव भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त एन.एम.डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लि. (एन.सी.एल.) के पक्ष में बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13, स्वीकृत है एवं बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–04 को भारत सरकार द्वारा 05 वर्षो के लिए आरक्षित किया गया है। उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त एन.सी.एल. द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–01, बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 3 एंव 8 के आरंक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आरीडोंगरी लौह अयस्क खदान का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 1,75,000.00 मिट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है। खदान से उत्पादित लौह अयस्क के विक्रय भी प्रचलन में है।

कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन की ओर अग्रेशित किया गया है। उक्त प्रस्ताव केन्द्र शासन के समक्ष विचाराधीन है।

बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक–13 की समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निश्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है, इसके विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. (एन.सी.एल.) के माध्यम से एम.डी.ओ. का चयन किया गया है। वर्तमान में परियोजना बंद है। प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।

एन.सी.एल. के आवेदन पर संज्ञान लेते हुये भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क डिपॉजिट क्रमांक–04 रकबा 646.596 हे. आरक्षित वन क्षेत्र को एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 14(ए)1 के तहत् एन.सी.एल. के पक्ष में अधिसूचना दिनांक 30.06.2019 के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षित किया गया। तदोपरान्त छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र दिनांक 26.06.2021 के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

जिला एवं तहसील दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) वनमंडल रिजर्व फॉरेस्ट अंतर्गत बैलाडीला डिपॉजीट नम्बर 01 के कुल रकबा 21.3 वर्ग कि.मी. क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का पूर्वेक्षण सह–खनन संक्रियाएं हेतु एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लि. (एन.सी.एल.) के पक्ष में एम.एम.डी.आर.एक्ट 1957 (यथासंशोधित) की धारा–17A(2) के तहत आरक्षित करने बाबत् दिनांक 24.11.2021 को छत्तीसगढ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, रायपुर द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित की गई है।

बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक 3 एवं 8 के कुल रकबा 18.15 वर्ग कि.मी. हेतु एन.एम.डी.सी–सी. एम.डी.सी. (एन.सी.एल.) के नाम से आरंक्षण करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय रायपुर के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

9.10.4 बाक्साइट परियोजना :– सी0एम0डी0सी0 द्वारा जिला सरगुजा में 05 बाक्साईट खदान संचालित किया जा रहा है, जिसमें उत्पादन एवं परिवहन का कार्य जारी है। सी0एम0डी0सी0 द्वारा जिला सरगुजा में 06, कबीरधाम में 02, बलरामपुर रामानुजगंज में 01, तथा जशपुर में 01 कुल 10 बाक्साइट खदान के खनिपट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमे से शासन द्वारा जिला सरगुजा के 01 क्षेत्र हेतु एल0ओ0आई0 जारी किया गया है, तथा शेष 09 क्षेत्रों हेतु शासन द्वारा एल0ओ0आई0 प्रदान करने की कार्यवाही प्रचलन में है। संचालित बाक्साईट खदानों का उत्पादन एवं परिवहन का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 9.11 बाक्साइट परियोजना

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन में)	परिवहन (मिट्रिक टन में)
2015–16	130984.730	130984.730
2016–17	75157.540	75157.540
2017–18	556900.790	556900.790
2018–19	180133.900	180133.900
2019–20	1,54,533.380	1,54,533.380
2020–21	52,841.130	52,841.130
2021–22 (नवंबर, 2021 तक)	63,001.210	63,001.210

9.10.5 कोरण्डम खनिज परियोजना :– कोरण्डम खनिज के लिए वर्ष 2021–22 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरण्डम खनिज के स्वीकृत खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्पोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम रू. 5.00 लाख की शुद्ध आय निश्चित है तथा कार्पोरेशन का उक्त व्यवसाय प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

9.10.6 केसेटराईट खनिज (टिन अयस्क) परियोजना :– सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केसेटराईट खनिज के कुल 14 खनिपट्टा स्वीकृत हैं, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तान्तरित किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 05 सहकारी समितियों के माध्यम से टिन खनिज का क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह नवम्बर 2021 तक) सहकारी समितियों के 225 सदस्यों को लगभग राशि रू. 90,69,665.00 (नब्बे लाख उन्हत्तर हजार छः सौ पैसठ रूपये) का भुगतान किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र में टिन अयस्क का क्रय एक जन हितकारी योजना के तहत् अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के हित के लिये किया जा रहा है, इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 250 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

9.10.7 खनिज अन्वेषण कार्य के संबंध में:– सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 6,862.30 मीटर वेधन कार्य किया गया। खनिजों के गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2233.00 बाक्साईट खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला के माध्यम से करवाया गया। सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह सितम्बर 2021 तक) में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण लगभग 2396.00 मीटर वेधन कार्य किया गया एवं कुल 4567.00 नमूनों के रासायनिक विश्लेशण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। शीघ्र ही 03 बाक्साईट ब्लॉकों के जियोलॉजिकल रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा।

9.10.8 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.):– रावघाट जगदलपुर (रावघाट–कोंडागांव 68.51 कि.मी. एवं कोंडगांव–जगदलपुर 71.49 कि.मी.) रेल लाईन 140 कि.मी. के विकास हेतु एन.एम.डी. सी., सेल, इरकॉन एवं सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 05.05. 2016 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। वर्तमान में रेल परियोजना से संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.9 छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (सी.सी.एल.):– छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन् तथा बेनीफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेन्ट को विभिन्न क्रेताओं को उपलब्ध कराने/विक्रय हेतु सी.एम.डी.सी. तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य दिनांक 30.08.2016 को जे.व्ही.ए. का निष्पादन किया जाकर, दिनांक 21.05.2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। संयुक्त उपक्रम

कम्पनी के गठन उपरान्त जे.व्ही. कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर तथा बोदल 02 क्षेत्रों को जे.व्ही. कम्पनी के नाम पर आरक्षित करने हेतु दिनांक 09.07.2021 को राज्य शासन द्वारा भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

9.10.10 डोलोमाईट खनिज परियोजनाः— छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3—14/2021/12, दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से ग्राम—छीतापड़रिया, तहसील जैजैपुर, जिला—जांजगीर चांपा स्थित खनिज डोलोमाईट धारित क्षेत्र कुल रकबा 407.410 हे0 को सी. एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

तालिका क्र. 9.12 प्रमुख खनिज उत्पादन में राज्य का योगदान प्रतिशत (लौह अयस्क एवं कोयला मात्रा हजार टन)

क्र.	वर्ष	केन्द्र			राज्य			कुल उत्पादन मे राज्य का योगदान प्रतिशत में		
		लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड
1	2016-17	192081	660402	24664632	31068	139722	1954233	16.17	21.16	7.92
2	2017-18	200955	678533	22312681	34546	142510	2558453	17.19	21.00	11.47
3	2018-19	206446	728718	23687721	34945	161893	1532600	16.93	22.22	6.47
4	2019-20	246081	729023	21823793	34724	157064	1566108	14.11	21.54	7.18
5	2020-21 (फरवरी 21 तक)	181806	619971	18057749	32019	130770	644814	17.61	21.09	3.57

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन